जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

No. IPRO/Reg./2026/88 दिनांकः 30 /06/2026

//विज्ञापन//

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र. के पत्र क्र./AGR/9/0010/2024-Sec-2-14(AGR)(CN. 337156) 1854 भोपाल, दिनांक 04.12.2024 द्वारा म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी–5–1/2017/एक/3, दिनांक 06 अक्टूबर 2017 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर के निर्माण विभाग में संविदा उपयंत्री ऑटोमोबाईल के 01 पद को संविदा पर भरे जाने हेतु वि.वि. आदेश क्रमांक स्था. दो/(1)/2024/EE/26/1178–1179, दिनांक 23.12.2024 से गठित समिति की बैठक दिनांक 10.01.2025 में लिये गये निर्णय के आधार वर्तमान में ऑटोमोबाईल के 01 पद,संविदा पद की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र **कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर–482004 (म.प्र.) के कार्यालय में दिनांक 20.07.2026 तक कार्यालय समय अपरान्ह् 05:00** बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से प्रेषित किये जा सकेंगे। अन्य माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जावेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेग।

संविदा नियुक्ति की शर्तेः–

1. **संविदा नियुक्ति के पद** :–मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र. के पत्र क्र./AGR/9/0010/2024-Sec-2-14(AGR)(CN. 337156) 1854 भोपाल, दिनांक 04.12.2024 द्वारा विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग में ऑटोमोबाईल के 01 पद को संविदा नियमों से भरे जाने हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार निम्नानुसार श्रेणी हैः–

क्र.	श्रेणी	पद नाम
		संविदा, उपयंत्री ऑटोमोबाईल
1.	अनारक्षित (UR)	**1**
2.	ई.डब्ल्यू.एस. (E.W.S.)	–
3.	अनुसूचित जाति (SC)	–
	अनुसूचित जनजाति (ST)	–
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	–
	योग	**1**

- वेतनमानः–रू. 32800/– एक मुश्त वेतन प्रतिमाह

2. **चयन समितिः–**

(1) संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिति वही होगी जो विश्वविद्यालय नियम एवं परिनियम 1964 की कण्डिका 5(h) में विहित है।

(2) चयन समिति के गठन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे ।

3. आयु सीमा :—

(1) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 के परिप्रेक्ष्य में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु सीमा **40 वर्ष** निर्धारित रहेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 45 वर्ष निर्धारित रहेगी ।

(3) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति जहाँ अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है वहाँ 65 वर्ष की आयु तक एवं जहाँ अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष है वहां 70 वर्ष की आयु तक दी सकेगी है ।

4. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर 2017 के बिन्दु क्रमांक 09 के अनुरूप होगी।

5. संविदा नियुक्ति के मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएं तथा पात्रता मापदण्ड मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 5 एवं 6 में **विहित है एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर 2013 के अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऐं एवं अन्य अर्हताऐं वही होगी** जो विभागीय भर्ती नियमों में विहित है, जिसकी शैक्षणिक आर्हता निम्नानुसार है :—

(1.) **संविदा उपयंत्री ऑटोमोबाईल पद हेतुः—**

- मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से हाई स्कूल/ हायर सेकेण्डरी (10+2) या समकक्ष।
- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऑटोमोबाईल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय उपाधि पत्र (डिप्लोमा)/किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाईल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि। वांछिनीय योग्यता मैकेनिकल में ऑटोमोबाईल के साथ विशेषज्ञता के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

6. **आरक्षणः—**

(1) संविदा नियुक्ति के पदों मध्यपद्रेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लम्बवत् (वर्टिकल) आरक्षण लागू होगा ।

अनुसूचित जनजति	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत

(2) **उक्त विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों को अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2018, 18105/2021 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के**

अंतिम न्यायालयीन निराकरण पर निर्भर होगा। मा. न्यायालय द्वारा इनके संबंध में अंतिम निर्णय होने तक पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित 13 प्रतिशत पदों हेतु परिणाम होल्ड रखा जायेगा।

(3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

(4) मध्यप्रदेश राजपत्र असारण क्रमांक सी.–3–8–2015–एफ–3. दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर स्थापित नियम "किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैतीस 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईस) होगा, के अनुसार ही लाभ प्रदान किया जावेगा ।

7. अन्य छूट :–

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक मान्य नहीं होगी। इस दावे की पुष्टि हेतु साक्ष्य (शासन द्वारा जारी प्रमाण–पत्र) प्रस्तुत करना होगा ।

(2) विक्रम पुरूस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3/18/85/3/1, दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी। इसके साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अनुज्ञेय आयु सीमा नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।

(4) उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिए देय छूट मिलेगी।

(5) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होगें तथा अन्य प्रदेशों के अभ्यार्थियों को किसी भी स्थिति में छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

(6) आरक्षण एवं अन्य छूट में दावा करने वाले अभ्यार्थियों को म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. संविदा नियुक्ति की अवधि:–

(1) संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष से अनाधिक अवधि हेतु होगी, किन्तु विश्वविद्यालय आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त

व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर, संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी

(2) संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(4) संविदा नियुक्ति के अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

9. आवेदन शुल्क :–

क्र.	पद का नाम	आवेदन शुल्क राशि	
		अनारक्षित	अनु. जनजाति/अनु. जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर
1.	संविदा उपयंत्री ऑटोमोबाईल 01 पद	रू. 800/–	रू. 400/–

(1) आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर" के नाम से देय होगी।

10.संविदा पदों का वेतन एवं अन्य सुविधाऐं:–

(1) विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में देय मासिक एकमुश्त वेतन होगा जो विभाग द्वारा समय–समय पर मध्यप्रदेश शासन/वित्त विभाग की सहमति से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत किया जाए।

(2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथासंशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस समय देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा ।

11.अवकाश की पात्रता:– इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी ।

12.यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाऐ:–

(1) विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत पद पर नियुक्त व्यक्ति को, उस पद के लिए निर्धारित यात्रा भत्ते एवं सुविधाओं की पात्रता होगी।

(2) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की संविदा नियुक्ति के मामले में, वे संबंधित पद/समकक्ष पद हेतु शासकीय सेवकों को देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे।

(3) यदि संविदा नियुक्ति के किसी पद के लिए यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, नियमों में विहित नहीं है तो ऐसे पद पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद के समकक्ष पद पर नियुक्त शासकीय सेवक के समान यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

13.आवेदन का रदद् किया जाना :–

13.1 ऐसे आवेदन जो अपूर्ण है और निहित आवेदन पत्र के प्रारूप में नहीं है अथवा जिनके साथ आवेदन शुल्क संलग्न नहीं पाए गए, रद्द कर दिये जावेंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

13.2 ऐसे आवेदन जिसमें आरक्षण, कार्यानुभव एवं आयु में छूट के संबंध में दावा किया है, उन्हें शासन के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण संलग्न नहीं होने पर आवेदन रद्द किये जायेंगे।

14.अन्य शर्तें :–

(1) किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालीन क्षेत्र जबलपुर म.प्र. रहेगा।

(2) निर्धारित संविदा अवधि समाप्ति पश्चात् संविदा अवधि बढ़ाये जाने एवं नियमितिकरण संबंधी कोई भी दावा अपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(3) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

(5) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर (परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(6) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।

(7) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी। कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है। परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

(8) शासकीय/अर्ध्द शासकीय/निगम मण्डल कार्यालय में उपयंत्री के पद (संबंधित विषय) में किये गये कार्य अनुभव का विवरणः आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(9) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी के हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि ही मान्य होगी। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ऐसे आवेदन हेतु आवेदन शुल्क वापसी का दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का नहीं रहेगा।

(10) कोई भी उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्च होने तक लंबित रखा जाएगा।

(11) आवेदक को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएं धारित किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात् अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी अपात्र होगें।

(12) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधरण) भोपाल दिनांक 10 मार्च 2000 के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवारी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(13) एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगें।

(14) चयन परिणाम एवं अन्य सूचनाऐं अधिकृत ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रदर्शित की जावेंगी तथा चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् कोई भी कम्प्यूटर/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आने पर विश्वविद्यालय को परिणाम में यथोचित सुधार करने के अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के अंतर्गत सुरक्षित रहेंगे।

(15) **आवश्यक होने पर विज्ञापित पदों एवं दिशा–निर्देशों में संशोधन समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जावेंगे। जिसके पालन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी।**

(16) **आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधारताल, जबलपुर म.प्र. 482004 को प्रेषित किये जावे। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

(17) किसी भी प्रकार के डाक विलंब हेतु विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व नहीं रहेगी।

(18) आवेदक आवेदन के साथ अभिलेखों संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आवश्य संलग्न करें।

15. **आयु संगणना तिथि:–** आयु की संगणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से की जावेगी। **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को निर्धारित आवश्यक अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।**

नोटः—संविदा की सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. सी—5—1 / 2017 / एक / 3, दिनांक 06 अक्टूबर 2017 एवं क्र. सी. 5—1 / 2017 / एक / 3, भोपाल दिनांक 26 मई 2018 के नियमानुसार तैयार की गई है। किसी भी बिन्दु पर भ्रम होने पर संदर्भित पत्रों के आधार पर ही कार्यवाही होगी। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा संविदा भर्ती के संबंध में समय—समय पर जारी नियम / निर्देश विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने के उपरांत ही लागू होंगे।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)

ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर के कार्यपालन यंत्री कार्यालय के निर्माण विभाग में संविदा उपयंत्री (ऑटोमोबाईल) के पद भरे जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें

1. पद नाम..
2. अ. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..
   ब. अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) ....
3. लिंग (पुरूष / महिला) / ट्रांसजेंडर...
4. पिता / पति का नाम उप नाम सहित ....
5. माता का नाम ....
6. जन्मतिथि अंकों में...शब्दों में...
   ....
7. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आयु : वर्ष................माह.............दिन..............
8. विवाहित / अविवाहित...विवाहित होने की स्थिति में जीवित संतानों की संख्य तथा प्रत्येक की जन्मतिथि अंकित करें। (प्रत्येक जीवित संतान का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क्र.	संतान का नाम	पुत्र / पुत्री	जन्म दिनांक	उम्र
1.				
2.				
3.				

9. क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हैं? हॉ / नहीं ....
   (यदि हॉ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
10. श्रेणी / केटेगरी–अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछडा (OBC) / आर्थिक रूप से कर्मजोर (EWS) वर्ग का सदस्य है? उल्लेख करें .... (यदि हॉ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)
11. क्या आवेदक निःशक्त है, हॉ / नहीं .... (यदि हॉ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें।)
12. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

13. राशि रूपये ....बैक ड्राफ्ट नं. ....बैंक का नाम ....दिनांक................................संलग्न है।

14. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निगम मण्डल कार्यालय में उपयंत्री के पद पर किये गये कार्य अनुभव का आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें। ....
....

15. जिला रोजगार कार्यालय का जिला ....जीवित पंजीयन क्र. ....दिनांक................................... प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें।

16. सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में, सेवानिवृत्त की तिथि ....सेवानिवृत्त के समय पदनाम.......................................वेतनमान................ .... विभाग का नाम...

17. Additional Qualification if any, in relevent field.. ....(Enclosed Certificate/Document).

18. Extra- curricular acticities (Participation in Game & Sports meet and Cultural activities) .... (Enclosed Certificate)

19. पत्र व्यवहार का स्थाई पता (पिन कोड मोबाइल नं., ई–मेल सहित) ....
....
....

20. वर्तमान पता...

नोटः– प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

21. संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची–

//घोषणा//

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। नियुक्ति पश्चात् यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

//DECLARATION//

1. I..son/daughter/ wife / husband of shri/Smt. ....hereby declare that, I am married/ not married and I have no child.

OR

I..son/daughter/ wife / husband of shri/Smt. ....hereby declare that, I am married and I have/do not have more than two children and the third child was not born on or after 26 January 2001 (as per Govt of MP rules). Details of children are as follows:

S.No.	Name of Child	Gender	Date of Birth

(strike out which ever not applicable).

2. I declare that the entries made in this form (from beginning till end) are true and correct to the best of my knowledge and belief. If any information presented by me is found incorrect and/ or false at any time. Vishwa Vidyalaya shall be free to cancel my appointment without any pre-notice and Vishwa Vidyalaya shall have full right to take legal action against me.

Candidate Signature
Full Name & address

....

....

Place:......................

Date: ....